न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर (सर्किट कोर्ट रीवा)
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 5145–दो/15

1. बाबूलाल पिता मन्नू बैगा
2. नान बाबू पिता मन्नू बैगा
   निवासीगण छुईहाई थाना नौरोजाबाद
   जिला उमरिया (म.प्र.) —— आवेदकगण

विरूद्व

1. शंकर बैगा पिता बजरिया बैगा
2. सोली बैगा पिता बजरिया
3. भुगलू बैगा पिता बजरिया बैगा
   निवासीगण छुईहाई थाना नौरोजाबाद
   जिला उमरिया (म.प्र.) —— अनावेदकगण

(श्री धर्मपाल सिंह अभिभाषक – आवेदक)

आ दे श

(आज दिनांक 2 अप्रैल 2016 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार तहसील बाँधवगढ़ जिला उमरिया के प्रकरण क्रमांक 15/अ–19(1)/1972–73 में पारित आदेश दिनांक 19–7–1976 के विरूद्व म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण का अवलोकन किया तथा प्रार्थी अभिभाषक के तर्क सुने। इससे प्रकट होता है कि विचाराधीन भूमि ग्राम छुईहाई तहसील बांधवगढ़ की खसरा नं. 292 रकवा 22.90 एकड़ 1952–53 के खसरे में जंगल मद में दर्ज था जिसके खाना नं. 7 में आवदेक के बाबा समनू बैगा कास्तकार कब्जेदार के रूप में 1.000 एकड़ (0.405 हेक्टे.) पर काबिज कास्तकार थे इसके पश्चात् आवेदक के पिता तथा बाद में आवेदकगण खेती कर काबिज हैं, परन्तु तहसीलदार के प्र.क्रं. 15/अ–19(1)/1972–73 के आदेश दिनांक 19–7–1976 को तहसीलदार के द्वारा अनावेदकों को पट्टा जारी कर दिया। जानकारी प्राप्त होने पर आवेदक ने तहसीलदार को आवदेन पत्र दिया जो तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/अ–70/2013–2014 में दिनांक 8–5–14 को अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। आवदेकों ने तहसीलदार के आदेश के

विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत की जो विचाराधीन है जिस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। आवेदक ने जनसुनवाई में कलेक्टर को अनावेदकों के पक्ष में फर्जी पट्टा देने की शिकायत करते हुए उसे निरस्त करने का आवेदन दिया तथा कलेक्टर को स्वमेव निगरानी में प्रकरण लेने हेतु आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने दिनांक 7–10–2015 को उन्हें निगरानी आवेदन सुनने की अधिकारिता न होने के कारण आवेदन खारिज कर दिया। आवेदकों द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 5–11–15 को यह निगरानी प्रस्तुत की गई जिसमें फर्जी पट्टा निरस्त करने के लिए प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिस प्रकरण क्रमांक 15/अ–19(1)/1972–1973 आदेश दिनांक 19–7–1976 के विरुद्ध स्वमेव निगरानी में लेने हेतु यह आवेदन दिया है उसकी सत्यापित प्रति भी प्रस्तुत नहीं की गई।

प्रकरण के अवलोकन से यह प्रकट है कि तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में अपील प्रचलित है। अपील प्रचलित रहते हुए आवेदक ने कलेक्टर को स्वमेव निगरानी का आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 7–10–15 में यह माना कि निगरानी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से इसे स्वमेव निगरानी नहीं माना जा सकता एवं आवेदन पत्र पर स्वमेव निगरानी सुनने की अधिकारिता कलेक्टर को न होने से स्वमेव निगरानी का आवेदन निरस्त किया। कलेक्टर को स्वमेव निगरानी में प्रकरण को सुनने की अधिकारिता है परन्तु आवेदक के आवेदन पर निगरानी ग्रहण करना स्वमेव निगरानी की श्रेणी में नहीं आता। कलेक्टर द्वारा किया गया आदेश वैधानिक रूप से उचित है। आवेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में अपील भी दायर की थी परन्तु उक्त अपील में क्या आदेश किया गया है इसकी जानकारी आवेदन में नहीं दी है। प्रकरण क्रमांक 15/अ–19(1)/1972–1973 आदेश दिनांक 19–7–1976 के आदेश की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की है। अतः उक्त स्थिति में निगरानी ग्राह्य का कोई औचित्य नहीं है। अतः निगरानी अग्राह्य की जाती है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल म0प्र0
ग्वालियर